



सत्यमेव जयते

आयकर आयुक्त कार्यालय - II

केन्द्रीय राजस्व भवन गडकरी चौक, पुराना आगरा रोड, नाशिक शहर - ४२२ ००२

No. NSK / CIT-II / 80-G (5) / 60/18/2009-10 **आदेश**

दिनांक: 17-02-2010

(आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 - जी)

एतद द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण राठी बुद्धिदेशीय संस्था,
७५६, आझाद चौक येवला, नाशिक इस
संस्था को उनके दिनांक १०-०९-२००९ के आवेदन पत्र के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की
धारा 80 - जी (5) के तहत पंजीकृत किया जाता है।

- तदनुसार इस संस्था को दिया जाने वाला दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 - जी के अंतर्गत, दानदाता के पक्ष में छूट मिलने का पात्र होगा।
- यह आदेश दिनांक ०१-०४-२००९ से लागू रहेगा।



(डॉ. ओ. पी. ककरालिया)
आयकर आयुक्त - II
नाशिक

पृष्ठांकन क्रमांक 60/18

आयकर आयुक्त कार्यालय - II, नाशिक

ना. / (पीआरओ) / 80 - जी / 2009 - 2010 / 3147

दिनांक 17-02-2010

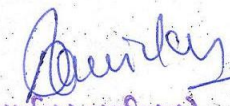
प्रतिलिपियाँ प्रेषित:

- संयुक्त / अतिरिक्त आयकर आयुक्त रैंज - 3 नाशिक
- कर निर्धारण अधिकारी, वॉर्ड 3(ठ), मालेगांव
- उपरोक्त संस्था को, उसके मैनेजिंग ट्रस्टी / मुख्य अधिकारी के मार्फत।
- कृपया पीछे दी हुई सूचनाओं का ध्यान रखें।

(लाइंडर पनीकर)
आयकर अधिकारी (मु.) (तक)
कृते आयकर आयुक्त II, न

- 1) दानदाता को जारी की जानेवाली रसीदों में इस आदेश की संख्या और तारीख का उल्लेख होना चाहिए।
- 2) ऐसी रसीद - बहियों का रख - रखाव सही ढंग से किया जाना चाहिए तथा एक विशिष्ट रसीद - बही रजिस्टर में उनके प्रयोग का हिसाब किताब रखा जाना चाहिए।
- 3) जहाँ जरूरी हो, वहाँ न्यास धारा ८० (जी) (५) (१) (सी) के अनुसार प्रमाण पत्र रसीद के साथ देना चाहिए।
- 4) आय और व्यय के हिसाब का वार्षिक विवरण कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाए।
- 5) यदि आगे नविनता की आवश्यकता हो तो कर निर्धारण अधिकारी के माध्यम से निम्नलिखित कागजातों के साथ इस कार्यालय को फॉर्म नं. १० (जी) में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 1) आय और व्यय के हिसाब का विवरण और बैलेन्स शीट (पिछले तीन सालों का)।
- 2) जमा और ब्याज की अदायगी का विवरण, जहाँ ब्याज की रकम रु. २,५००/- से अधिक हो।
- 3) रु. ५,०००/- से अधिक दान देने वाले दानदाताओं का पूर्ण विवरण, पूर्ण पते के साथ दें।
- 4) संगठन के संविधान / ट्रस्ट डीड / झापन की एक प्रति, यदि उसमें कोई परिवर्तन हुए हों तो।
- 5) सभी न्यासियों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र दें कि उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा १३ (१) के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं किया है, तथा संस्था धारा ११ व १२ के प्रावधानों की पात्र है।


आयकर अधिकारी
(मु.) (स्था.) पी. आर. ओ.
कृते आयकर आयुक्त - II , नाशिक.